

प्रसार भारती
(भारत का लोक सेवा प्रसारक)
प्रादेशिक समाचार एकांश
आकाशवाणी, पटना

प्रसारण:— अपराह्न 03:10 बजे से।

अवधि:— 05 मिनट

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को सात-सात हजार रुपये सहायता राशि देने की घोषणा की है। यह राशि दुर्गा पूजा से पहले ही डीबीटी के माध्यम से बाढ़ प्रभावितों के बैंक खाते में भेज दी जायेगी। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने बताया कि लगभग पचास हजार बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच सहायता राशि भेजी जायेगी।

इधर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। श्री कुमार ने दरभंगा के इंडोर स्टेडियम में बाढ़ प्रभावितों के बीच बांटे जाने वाले सूखे राशन के पैकेजिंग कार्य की समीक्षा की। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में चलाये जा रहे स्वास्थ्य शिविर का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये। इस बीच, मुख्यमंत्री आज शाम पटना में राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति और चलाये जा रहे राहत तथा बचाव कार्य की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में बाढ़ प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाने की समीक्षा होगी। साथ ही बाढ़ के कारण फसलों की हुई क्षति और किसानों को दी जाने वाली सहायता पर भी चर्चा होगी।

प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दरभंगा, पूर्वी चंपारण, खगड़िया और मुजफ्फरपुर जिले के कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। बागमती, कमला बलान और अधवारा समूह की नदियों के उफान पर होने से कई गांव जलमग्न हो गये हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार अठारह जिलों में सोलह लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में आ चुकी है। इधर, सुपौल, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण और पश्चिम चंपारण समेत कई जिलों में बाढ़ का पानी कम होने से स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है।

प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्णियां के

बरहराकोठी में सबसे अधिक अस्सी दशमलव चार मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी। वहीं, भागलपुर के पीरपैती में छिहत्तर दशमलव दो मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले चौबीस घंटों के दौरान किशनगंज और लखीसराय जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की सम्भावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।

पटना उच्च न्यायालय ने नवादा के ददौर स्थित एक अनुसूचित जाति की बस्ती में आग लगाये जाने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चन्द्रन की अध्यक्षता वाली खंड पीठ ने इस मामले में राज्य सरकार को विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता पी.के. शाही ने बताया कि घटना के तुरंत बाद कार्रवाई की गयी। मामले में चौबीस लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रभावित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था की गयी। इस मामले की अगली सुनवाई उनतीस नवम्बर को होगी।

पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में चल रहे भूमि सर्वे पर रोक लगाने के लिए दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चन्द्रन की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिका में पर्याप्त ब्यौरा नहीं है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली। साथ ही न्यायालय ने इसे खारिज भी कर दिया।

पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन ने आज न्यायाधिक सेवा कोटे से नियुक्त दो न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। श्री चंद्रन ने पटना उच्च न्यायालय के शताब्दी भवन में आयोजित समारोह में न्यायाधीश शशि भूषण प्रसाद सिंह और न्यायाधीश अशोक कुमार पांडेय को शपथ दिलाई।

पटना जिले के फतुहा थाना क्षेत्र अन्तर्गत गांधीटोला के पास सड़क हादसे में पिता-पुत्र सहित तीन लोगों की मौत हो गयी। पुलिस ने बताया कि तीनों एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे, तभी मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गयी और तीनों गिर गये। पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रक ने तीनों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

इसके साथ ही आकाशवाणी, पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। एक छोटे अंतराल के बाद आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।